जलवाहक योजना

[स्रोत: पी.आई.बी](#)

हाल ही में **केंद्रीय पत्तन, पोत परविहन एवं जलमार्ग मंत्री** ने अंतर्देशीय जलमार्ग और माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिये **'जलवाहक' योजना** शुरू की।

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्गों की वाणिज्यिक क्षमता का दोहन करना,**रसद लागत को कम करना** और **सड़कों और रेलमार्गों पर यातायात को आसान बनाना** है।
    - **यह** राष्ट्रीय जलमार्ग (NW) 1 **(गंगा),** 2 (ब्रह्मपुत्र) और **16 (बराक)** पर लंबी दूरी की माल ढुलाई को प्रोत्साहित करता है।
- **प्रोत्साहन:**
    - भारत-बांग्लादेश **प्रोटोकॉल मार्ग** के माध्यम से **राष्ट्रीय राजमार्ग 1, 2 और 16** पर कार्गो आवागमन के लिये परिचालन व्यय का **35% तक प्रतिपूर्ति** प्रदान करता है।
    - यह **निजी ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले जहाजों को किराये पर लेने** को प्रोत्साहित करता है, जिससे प्रतिस्पर्द्धा और दक्षता को बढ़ावा मिलता है।
- **आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव:**
    - इसका लक्ष्य **वर्ष 2027 तक 800 मिलियन टन किलोमीटर कार्गो** को शिफ्ट करना है।
    - इसका लक्ष्य जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही को 132.89 मिलियन टन (2023-24) से बढ़ाकर**वर्ष 2030 तक 200 मिलियन टन** और **वर्ष 2047 तक 500 मिलियन टन** करना है, जिससे नीली अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत पहल को समर्थन मिलेगा।
- **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI):**
    - इसकी स्थापना **वर्ष 1986** में अंतर्देशीय जलमार्गों को विनियमित और विकसित करने के लिये की गई थी।
    - भारत में नदियों, नहरों और बैकवाटर्स सहित **14,500 किलोमीटर** नौगम्य जलमार्ग हैं।
    - राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अंतर्गत 111 जलमार्गों (5 मौजूदा और 106 नए) को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।

और पढ़ें: भारत का अंतर्देशीय जल परिवहन

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/jalvahak-scheme